कार्यालय – झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गढवा

विज्ञापन संख्या JBAV/01/2023

झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं के चयन हेतु आवश्यक सूचना

1. विभागीय आदेश संख्या–QU/40/207/2022/3060 दिनांक–03.08.2023 के आलोक में जिला में संचालित 03 झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्ताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्त्तों के अधीन शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 15.12.23 के अपराह्न 5:00 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, कार्यालय गढवा में आमंत्रित किए जाते हैः–

Sl. No.	Name of Post	Vacancy	Roster					Total
			UR	BC-I	BC-II	SC	ST	
कक्षा 06 से 08								
1.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी)	3	2			1		3
2.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – गणित	3	2			1		3
3.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – विज्ञान	3	2			1		3
4.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – सा0 विज्ञान	3	2			1		3
5.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – शारीरिक शिक्षा	3	2			1		3
कक्षा 09 से 12								
6.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) **प्रति विद्यालय 02 पद**	6	3			2	1	6
7.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – विज्ञान (फिजिक्स+गणित)	3	2			1		3
8.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – विज्ञान (केमेस्ट्री+बायलोजी)	3	2			1		3
9.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – सामाजिक विज्ञान	3	2			1		3
10.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – अर्थशास्त्र	3	2			1		3

2. उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी –सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गढवा विकास भवन–बी, समाहरणालय परिसर, प्रथम तल गढवा में अनिवार्य रूप से दिनांक 15.12.23 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

3. **चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि–**

क्र. सं.	पदनाम	वांछित अहर्ता	देय परिलब्धि
1	भाषा शिक्षिका (हिन्दी/अंग्रेजी)	1. **शैक्षणिक अहर्ताः–** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमांक 1 से 10 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अहर्ता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। 2. **प्रशैक्षणिक अहर्ताः–** क्र.सं. 06 से 10 हेतु अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड. तथा क्र.सं. 01 से 04 हेतु मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड. अथवा समकक्ष	1. शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू. 15,840/–प्रतिमाह देय होगी। 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी। 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रू. की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।
2	गणित शिक्षिका		
3	विज्ञान शिक्षिका		
4	समाजिक विज्ञान शिक्षिका		

D:\DATA\Rakesh\JBAV Vacancy Advertigment 21.11.2023.docx

21.11.23

https://govjobsadda.in/

क्र. सं.	पदनाम	वांछित अहर्ता	देय परिलब्धि
5	शिक्षिका – शारीरिक शिक्षा	परीक्षा यथा– प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। शारीरिक शिक्षिका के लिए Bachelor in Physical Education/Degree in physical education अनिवार्य होगा। 3. **शिक्षक पात्रता परीक्षा:–** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा TET की वैधता आजीवन मान्य किया गया है। शारीरिक शिक्षिका एवं कक्षा 09 से 12 हेतु TET अनिवार्य नहीं है।	

चयन संबंधी दिशा–निदेश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत हैं–

1. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे। पुरूष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. चयनित होनेवाले शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक–एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा।
3. सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
4. आयुसीमा :–
   i. चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकत्तम उम्र 35 वर्ष होगी परंतु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या–29 दिनांक–04.01.2021 झारखण्ड सरकार के आलोक में निम्नवत् होगी :–

Sl.No.	Category	Maximum age limit
1	Unreserved Category	35
2	Female (UR/EWS/BC-I/BC-II)	38
3	Extremely Backward Classes (Annexure-I)/ Backward Classes (Annexure-II)	37
4	SC/ST (Male and Female)	40
5	Person with bench mark disability (PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.

   ii. भूतपूर्व सैनिकों Ex-Servicemen को अपनी कोटि में 05 वर्ष तक उपरोक्त अधिकत्तम आयु सीमा में छूट दी जायेगी।
   iii. उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.06.2023 के आधार पर की जायेगी।
5. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय/झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षिकाओं को राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं एवं 64वीं बैठक में पारित निर्णय के आलोक में इन कर्मियों के एक वर्ष के कार्यकाल के विरूद्ध 01 अंक के आधार पर कुल कार्यकाल की गणना कर परीक्षा में प्राप्त अंक में अतिरिक्त अंक जोड़े जाने पर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम शैक्षणिक में 5 प्रतिशत की सीमा तक छुट, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले को दी जा सकती है।
6. **आवेदन:–** सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 15.12.23 के संध्या 5:00 बजे तक **जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी –सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गढवा विकास भवन–बी, समाहरणालय परिसर, प्रथम तल गढवा** के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

21.11.23

https://govjobsadda.in/

7. प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्त्तें, अहर्त्ता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा–निदेश जिला के अधिकारिक वेबसाईट **https://garhwa.nic.in** पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित सभी दिशा–निदेश उपरोक्त वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे समय–समय पर जानकारी हेतु वेबसाईट का अवलोकन करते रहेंगे। उपरोक्त जानकारी जिले के NIC के अधिकारिक वेबसाईट पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी।
8. **आवेदन के साथ संलग्न किए जानेवाले अनुलग्नक :–**
   - i. 23 X 10 से.मी. का स्वःपता लिखा हुआ दो लिफाफा।
   - ii. सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्वःअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जाए।
   - iii. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति।
   - iv. झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाणपत्र की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति।
9. झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा।
10. अभ्यर्थियों का चयन जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा।
11. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित / रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक अथवा जिले विशेष के चयन हेतु जिले के उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गढ़वा को सुरक्षित रहेगा।
12. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21/11/23

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गढ़वा

21/11/23

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला कार्यकारिणी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गढ़वा

https://govjobsadda.in/